न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

नि0 – 907 – PBR-16

(29)

1– गुलाम हुसैन पिता नजीर खां जाति मुसलमान

2– रईस पिता नजीर खां जाति मुसलमान

3– रफीक पिता नजीर खां जाति मुसलमान

सभी निवासी शिवगढ तह0 देपालपुर जिला इंदौर

..........................निगरानीकर्ता

बनाम

1– बाबू पिता यासीन खां जाति मुसलमान

निवासी ग्राम अंतराय तह0 व जिला धार

2– भुरू पिता यासीन खां जाति मुसलमान

3– नवाब पिता यासीन खां जाति मुसलमान

4– धनजी पिता यासीन खां जाति मुसलमान

5– छोटू पिता यासीन खां जाति मुसलमान

6– जिन्नत बेवा यासीन खां जाति मुसलमान

7– नौसाद पिता अनवर खां जाति मुसलमान

8– जुबेदा बेवा अनवर खां जाति मुसलमान

9– मुबारिक खां पिता इस्माईल खां जाति मुसलमान

10– साबिर खां पिता इस्माईल खां जाति मुसलमान

क्र. 2 लगायत 10 निवासी शिवगढ तह0 देपालपुर जिला इंदौर

11– मेहराज बी नजीर खां जाति मुसलमान

निवासी ग्राम दंगोठा तह0 व जिला धार

12– सद्दाम पिता सलाम खां जाति मुसलमान

13– कय्युम बेवा सलाम खां जाति मुसलमान

दोनो निवासी शिवगढ तह0 देपालपुर जिला इंदौर

14– सत्तार पिता यासीन खां जाति मुसलमान
निवासी सांभर तह0 व जिला धार

15– फकीर मोहम्मद पिता मुंशी खां जाति मुसलमान

16– जाकीर पिता मुंशी खां जाति मुसलमान
दोनो निवासी शिवगढ तह0 देपालपुर जिला इंदौर

......................विपक्षीगण

निगरानी धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम शिवगढ तहसील देपालपुर जिला इंदौर की भूमि सर्वे नंबर 152/1, 152/2, 250, 254/1, 254/2, 254/2/1, 254/4, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 260/3, 261/1 कुल रकबा 10.897 हैक्टर कुल लगान 79.78 पैसे के संबंध में प्रकरण चला होकर बाबू खां ने कार्यवाही की जिसका राजस्व प्रकरण क्रमांक 3/2014–15/अ–27 पर कायम होकर अंतिम आज्ञा दिनांक 08.12.2015 को हुई होकर प्रकरण लेखागार में भेजा जावे। ऐसी दशा में अब आगे बढने के लिए फंक्शन एफिसो है विधि से उन्हे आगे बढने को व फेरफार करने का कोई अधिकार नही है अगर वे उसमें फेरफार करना चाहते है तो वरिष्ठ से मंजुरी लेना होगी अथवा किसी पक्ष द्वारा ग्रिवेऐंस बताना होगा इस प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य नही है फिर भी 20.01.2016 द्वारा लेकिन टंकण में आदेश पत्रिका में 20.01.2015 है जबकि मूल आज्ञा ही दिनांक 08.12.2015 की है यह सारा कार्य तहसील देपालपुर के अपर तहसीलदार महोदय का हडबडाहट में है मनमाना है विधि व कानून व न्याय के आज्ञापक नियम उपनियम का पालनकर उन्होने छेडछाड की है बंटाक आदि में छेडछाड की है जबकि ऐसा करने का उन्हे कोई अधिकार नही था अतः उनका कार्य राजस्व प्रपत्र में दिनांक 20.01.2016 का विधि विरूद्ध है व आगे के प्रोसीडिंग विधि विरूद्ध है उसे अपास्ति बाबद यह निगरानी अर्ज निम्न आधारो पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत प्रस्तुत है:–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 907-पीबीआर/16 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-11-18	आवेदकपक्ष की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 10 की ओर से श्री टी0टी0गुप्ता, अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 07-01-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	